

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका सं०-2/एल०-46/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक- 2024

डा० अशोक कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीगंज, ईमामगंज, गया के दिनांक-13.10.2022 से 28.02.2023 तक की अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक-1494(25), दिनांक-16.07.2025 द्वारा निर्गत अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 234 के आलोक में निम्नरूप में स्वीकृत किया जाता है :-

- (i) दिनांक-13.10.2022 से 22.10.2022 तक - कुल-10 दिन रूपांतरित (कुल-20 अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले) अवकाश के रूप में।
- (ii) दिनांक-23.10.2022 से 27.11.2022 तक - कुल-36 दिन उपार्जित अवकाश के रूप में
- (iii) दिनांक-28.11.2022 से 28.02.2023 तक - कुल-93 (तिरानले) दिन असाधारण अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
(राजीव रंजन)  
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल०-46/2025- 1873(2) पटना, दिनांक 3/8/2026

**प्रतिलिपि :** महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :** असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईमामगंज, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया/डा० अशोक कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीगंज, ईमामगंज, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :** आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।